



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक १०५ / प्रशा. / 2021

भोपाल, दिनांक 11 / 06 / 2021

:: अधिसूचना ::

मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी निम्नांकित दो योजनाएं विश्वविद्यालय में लागू की गई हैं:-

1. मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना
(वि.वि. आदेश क्र-750 / प्रशा. / 2021 दि. 02.06.2021)
2. मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना
(वि.वि. आदेश क्र-750 / प्रशा. / 2021 दि. 02.06.2021)

उक्त योजनाओं से संबंधित नियमावली तथा आवेदन-प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.bubhopal.ac.in पर उपलब्ध है।

विश्वविद्यालय की सेवा में रहते हुए जिन शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारियों का निधन कोरोना वायरस के संक्रमण से (उक्त योजनाओं के नियमों एवं निर्धारित अवधि के अंतर्गत) हुआ है, उनके पात्रता प्राप्त आश्रितों से अनुरोध है कि सुसंगत अभिलेखों सहित अनुकंपा नियुक्ति/ अनुग्रह राशि हेतु आवेदन योजना के अंतर्गत निर्धारित समयावधि में विश्वविद्यालय कार्यालय में प्रस्तुत करें। आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अवधि अनुकंपा नियुक्ति योजना के बिंदु क्रमांक 7.2 एवं विशेष अनुग्रह योजना के बिंदु क्रमांक 9.2 में उल्लेखित है।

आदेशानुसार

कुलसचिव

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल दिनांक 11 / 06 / 2021

पृ0क्रमांक १०५ / प्रशा. / 2021

प्रतिलिपि:-

1. रामस्त विभाग के विभागाध्यक्ष/अधिकारी/कक्षाधिकारी की ओर सूचनार्थ।
2. निज राक्षयक के माध्यम से मान. कुलपति जी के सादर सूचनार्थ।
3. प्रभारी आई.टी. सेल की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. पी.आर.ओ. कक्ष की ओर लोकप्रिय समाचार के रूप में प्रकाशित करने की व्यवस्था हेतु।

उप-कुलसचिव (प्रशासन)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल